संख्या:-145/2021/411आ0/23-5-21-27(भवन)/2021

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2021**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद बिजनौर, बागपत, बांदा, गोण्डा, अयोध्या, सम्भल, प्रयागराज, लखनऊ व झांसी के कुल 18 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 राजस्वलेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद बिजनौर, बागपत, बांदा, गोण्डा, अयोध्या, सम्भल, प्रयागराज, लखनऊ व झांसी के कुल 18 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 282.08 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रू0 182.00 लाख(रू0 एक करोड़ बयासी लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
					(धनराशि लाख रू0 में)
1	867बीजीबी/112बीजीबी/मुरादाबाद/निरीक्षण भवन/नूरपुर/अना0/2021-22, दिनांक 09.12.2021	बिजनौर	निरीक्षण भवन, नूरपुर की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	12.91	08.00
2	453बीजीबी/112बीजीबी/मेरठ/बागपत/अना0/2021-22, दिनांक 01.12.2021	बागपत	बागपत में स्थित आफिसर्स हॉस्टल की मरम्मत का कार्य।	27.29	18.00
3	तदैव	तदैव	बागपत में स्थित निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य।	09.52	06.00
4	675बीजीबी/112बीजीबी/चित्रकूट (बांदा)/नि0भ0/बांदा/अना0/2021-22, दिनांक 01.12.2021	बांदा	बांदा में निरीक्षण भवन, बांदा की मरम्मत का कार्य।	17.90	12.00
5	742बीजीबी/112बीजीबी/देवीपाटन(गोण्डा)नि0भ0/करनैलगंज/अना0/2021-22,दि001.12.2021	गोण्डा	गोण्डा में निरीक्षण भवन करनैलगंज के विशेष मरम्मत का कार्य।	09.27	06.00
6	650बीजीबी/112बीजीबी/देवीपाटन(गोण्डा)/वजीरगंज/नि0भ0/अना0/2021-22,दि0 01.12.2021	गोण्डा	वजीरगंज निरीक्षण भवन के विशेष मरम्मत का कार्य।	10.86	07.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7	717बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0/लखनऊ/नि0भ0/अयोध्या/अना0/2021-22, दि0 01.12.2021	अयोध्या	अयोध्या स्थित निरीक्षण भवन में पुन: विद्युतीकरण का कार्य।		15.53	10.00
8	703बीजीबी/112बीजीबी/अयोध्या/स0हा0/अना0/2021-22, दिनांक 22.11.2021	अयोध्या	अयोध्या में सर्किट हाउस के रंगाई पुताई का कार्य।		03.01	02.00
9	740बीजीबी/112बीजीबी/प्रयागराज/सर्किट हाउस/अना0/2021-22, दिनांक 01.12.2021	प्रयागराज	अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद सर्किट हाउस प्रयागराज के सूट सं0-1(त्रिवेणी सूट) तथा सूट सं0-2 (संगम सूट) के विशेष मरम्मत का कार्य।		17.38	11.00
10	415बीजीबी/112बीजीबी/मुरादाबाद/नि0भ0/अना0/2021-22, दिनांक 26.10.2021	सम्भल	निरीक्षण भवन मुजाहिदपुर कैलादेवी में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल, चौकीदार कक्ष, दरवाजों-खिड़कियों, टाईल्स, सैनेटरी, जल सप्लाई आदि की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्य।		22.04	14.00
11	420बीजीबी/112बीजीबी/मुरादाबाद/सम्भल/गो0क्षे0/अना0-3/2021-22, दिनांक 25.11.2021	सम्भल	सम्भल में लो0नि0वि0 के गेस्ट हाउस सम्भल के जीर्णोद्धार का कार्य।		06.52	04.00
12	तदैव	तदैव	सम्भल में लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन (कार्यालय भवन) सम्भल के जीर्णोद्धार का कार्य।		09.17	06.00
13	472बीजीबी/112बीजीबी/मध्य क्षेत्र/अर्जुनपुर/नि0भ0/अना0/2021-22, दिनांक 25.11.2021	लखनऊ	लखनऊ में अर्जुनपुर स्थित निरीक्षण भवन में मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।		11.09	07.00
14	479बीजीबी/112बीजीबी/39वां वृत्त/अना0(11)/2021-22, दिनांक 22.11.2021	लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0, लखनऊ स्थित मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग के कक्ष में विभिन्न कार्य।	सिविल कार्य	01.72	01.00
				विद्युत कार्य	02.15	01.00
15	301बीजीबी/112बीजीबी/39वां वृत्त/अना0(7)/2021-22, दिनांक 24.11.2021	लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय भवन की छतों पर जलरोधन का कार्य।		47.41	31.00
16	412बीजीबी/112बीजीबी/वि0/यॉ0/कार्या0प्र0अभि0/लखनऊ/अना0-12/2021-22, दिनांक 25.11.2021	लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 लखनऊ के मध्य विंग के द्वितीय तल पर स्थित कक्ष संख्या-203 (लेखा वर्ग सी0सी0एल0) में पुन: विद्युतीकरण का कार्य।		03.25	02.00
17	तदैव	तदैव	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 लखनऊ के मध्य विंग(ओल्ड) के द्वितीय तल पर स्थित विभिन्न कक्षों(कक्ष संख्या-201, 204, 205, 206, 207, 211, 212, व 213) में पुन: विद्युतीकरण का कार्य।		15.16	10.00
18	706बीजीबी/112बीजीबी/झांसी/स0हा0/अना0/2021-22, दिनांक 25.11.2021 एवं 887बीजीबी/112बीजीबी/झांसी/स0हा0/अना0/2021-22, दिनांक 10.12.2021	झांसी	झांसी में सर्किट हाउस, झांसी में जीर्णोद्धार एवं रंगाई-पुताई का कार्य।		39.90	26.00
			कुल योग :-		**282.08**	**182.00**

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-053-रख-रखाव तथा मरम्मत-06-सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत-00-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

..../04..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-145/2021/411आ0(1)/23-5-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उपमुख्यमंत्री जी/मा0 विभागीय मंत्री जी, उ0प्र0।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी बिजनौर, बागपत, बांदा, गोण्डा, अयोध्या, प्रयागराज, सम्भल, लखनऊ व झांसी।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0)/(म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, प0क्षे0(मेरठ), चित्रकूट धाम(बांदा) क्षेत्र, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र व झांसी क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, मेरठ वृत्त, बांदा वृत्त, गोण्डा वृत्त, 44वां(वि0/यॉ0) वृत्त, अयोध्या-अम्बेडकर नगर वृत्त, प्रयागराज वृत्त, मुरादाबाद वृत्त, लखनऊ वृत्त, 39वां वृत्त, 30वां0 वृत्त व झांसी वृत्त, लो0नि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बांदा।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 एवं 2, लो0नि0वि0, गोण्डा।
15- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, अयोध्या।
16- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, अयोध्या।
17- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
18- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल।
19- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
20- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ।
21- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0इ0अनु0(वि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
22- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।
23- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
24- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।